फा. सं. 13 (9) संस्था II (क)/ 2007

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 13 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सहायता अनुदान पाने वाले निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखों को सदन के पटल पर रखा जाना– सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों को दोहराना।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी. एफ. आर.), 2005 1 जुलाई, 2005 से जारी की गई थी। जी. एफ. आर., 2005 का नियम 212 (2) निम्नवत है :

(i) दस लाख रुपए से पच्चीस लाख रुपए की आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले प्राइवेट और स्वयंसेवी संगठनों के मामले में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों को संसद के सूचनार्थ अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें इनमें से प्रत्येक संगठन को प्रदान की गई निधियों की मात्रा और उन प्रयोजनों को दशार्या जाना चाहिए जिनके लिए उनका उपयोग किया गया था। उन प्राइवेट और स्वयंसेवी संगठनों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखे, जो पच्चीस लाख रुपए से अधिक की आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, अनुदान ग्राही संगठनों के अगले वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिएं।

(ii) उन संगठनों के मामले में जो दस लाख रुपए से पच्चीस लाख रुपए तक की सहायता अनुदान के रूप में एक बारगी सहायता या अनावर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों को संसद के सूचनार्थ अपनी वार्षिक रिपोर्टों में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें इनमें से प्रत्येक संगठन को प्रदान की गई निधियों की मात्रा और उन प्रयोजनों को दर्शाया जाना चाहिए जिनके लिए उनका उपयोग किया गया था। जो प्राइवेट और स्वयंसेवी संगठन या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटियां पचास लाख रुपए और इससे अधिक की एक बारगी सहायता/अनावर्ती अनुदान प्राप्त कर रही हैं, उनकी वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित लेखे भी अनुदान ग्राही संगठनों के अगले वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए।

2. लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजातों से संबंधित समिति ने नोट किया कि कुछ संगठनों के दस्तावेजों को पटल पर रखे जाने में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों ने अत्यधिक देरी की। अत:, जी.एफ.आर., 2005 के उपुर्यक्त प्रावधानों को दोहराया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इनका कर्तव्यनिष्ठा से पालन करना सुनिश्चित करें।

मधुलिका प्र सु

(मधुलिका पी. सुकुल)

संयुक्त सचिव (कार्मिक)

☎ : 2309 3283

सेवा में,

1. सभी सचिव, मंत्रालय/विभाग।
2. सभी वित्तीय सलाहकार, मंत्रालय/विभाग।